न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 13/2008 अन्तर्गत धारा 76 एल० आर० एक्ट

[अपील]ान :–

1. विक्रम पुत्र महादेव जाति अहीर
2. कर्मवीर पुत्र महादेव जाति अहीर
3. सतपाल पुत्र महादेव जाति अहीर
4. मोहनलाल उर्फ पप्पू पुत्र महादेव जाति अहीर
5. रोशनी स्त्री स्व० वीरसिंह जाति अहीर
6. जगतसिंह पुत्र वीरसिंह नाबालिग जरिये माता रोशनी
7. अनुज पुत्र वीरसिंह नाबालिग जरिये माता रोशनी

निवासीयान ग्राम दहमी तहसील बहरोड जिला अलवर

:—— अपीलांटस

बनाम

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाथा की ढाणी जरिये प्रधानाध्यापक तहसील बहरोड जिला अलवर ।
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये एस० डी० ओ० बहरोड

:—— रेस्पां०

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, बहरोड

दिनांक 2.2.2008

उपस्थित	:–	1.	वकील अपीलांटस	:–	श्री रामेश्वर दयाल
		2.	वकील रेस्पो0	:–	राजकीय अभिभाषक

निर्णय — दिनांक 31.1.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड के आदेश कमांक राजस्व/08/85–88 दिनांक 2.2.2008 के खिलाफ है, जिस आदेश के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 418 व 419 वाके ग्राम नाथा की ढाणी के रकबा 18 एयर व 01 एयर का आवंटन राजकीय प्राथमिक विघालय नाथा की ढाणी ग्राम पंचायत मांचल तहसील बहरोड के भवन निर्माण हेतु आवंटन किया गया था ।

2. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में अभिकथन किया कि विवादित भूमि पर हमारा लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है । वक्त आवंटन भूमि खाली नहीं थी । कानूनन खाली भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है । हमारे कब्जे काश्त की भूमि का [redacted]टन करने का उपखंड अधिकारी को कोई अधिकार नहीं था । हम आवंटन हेतु पात्रता रखते हैं । स्कूल के नाम आवंटन गलत तौर पर किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि विवादित भूमि की किस्म सिवायचक है । अपीलांटस का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है । उनका कोई कब्जा नहीं है । अगर कोई कब्जा है भी तो वह अतिकमी की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

हैसियत से होगा । आवंटन जन हितार्थ किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन करने से पूर्व ग्राम पंचायत मांचल द्वारा दिनांक 21.1.2008 को अनापत्ति प्रमाण जारी किया गया है । पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में बताया है कि आराजी खसरा नम्बर 418 रकबा 18 एयर एवं 419 रकबा 01 एयर वाके ग्राम दहमी रिकार्ड में सिवायचक लगानी दर्ज है तथा मौके पर खाली है । जमाबन्दी सम्वत 2059–62 तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2059–62 में विवादित भूमि को सिवायचक लगानी दर्ज किया हुआ है ।

5. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में स्पष्ट है कि विवादित भूमि की किस्म सिवायचक लगानी दर्ज है, जिसका आवंटन जन हितार्थ स्कूल के भवन निर्माण हेतु किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । जहां तक अपीलांट के इस कथन का प्रश्न है कि उनका विवादित भूमि पर लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है तो इस सम्बन्‍ध में अपीलांटस की ओर कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई है । पटवारी हल्का द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में विवादित भूमि को खाली होना बताया है । साथ ही खसरा गिरदावरी में भी अपीलांटस का कब्जा काश्त अंकित नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अपीलांटस कोई कब्जा नहीं है । यह अपील सारहीन है । लिहाजा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.2008 यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner